पत्र सं०–6 एस०एस०(6)34 / 2019– 2051 /

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

स्मिता सिन्हा, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : * आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना–15, दिनांक–.....08. / .05.... / 2025.

विषय– **राज्य योजनान्तर्गत मत्स्य कृषकों के राज्य के अंदर भ्रमण दर्शन कार्यक्रम की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में मत्स्य प्रसार योजना के तहत कुल ₹ 91.14 लाख (इक्यानवे लाख चौदह हजार) रुपये मात्र की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–1942, दिनांक–10.06.2024 के क्रम में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त राज्य योजनान्तर्गत मत्स्य कृषकों के राज्य के अंदर भ्रमण दर्शन कार्यक्रम की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में मत्स्य प्रसार योजना के तहत कुल ₹ 91.14 लाख (इक्यानवे लाख चौदह हजार) रुपये मात्र की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–I, II एवं III के रूप में संलग्न।

2. राज्य के मत्स्य कृषकों को भ्रमण दर्शन कार्यक्रम के द्वारा मात्स्यिकी के नवीनतम तकनीक से अवगत कराना है ताकि वे प्रेरित होकर इस तकनीक को अंगीकार करते हुए अपने–अपने जलस्रोतो में लागू करते हुए लाभान्वित हो सकेगें। साथ ही, इस योजना के सफल क्रियान्वयन से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि हो सकेगी तथा रोजगार के नये अवसर के सृजन एवं मत्स्य पालको के वार्षिक आय में भी बढ़ोतरी हो सकेगी।
3. इस योजनान्तर्गत 5880 मत्स्य कृषकों को राज्य के अंदर भ्रमण दर्शन कराया जायेगा। इस पर कुल ₹ 91.14 लाख (इक्यानवे लाख चौदह हजार) रुपये मात्र व्यय होने का अनुमान है। योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जायेगा।
4. योजना के क्रियान्वयन का संक्षिप्त विवरण :–

(क) राज्य के अंदर मत्स्य कृषकों का भ्रमण दर्शन कार्यक्रम योजना का मुख्य उदे्श्य राज्य के अंदर ही विभिन्न जिलों में विकसित आर्द्रभूमि (चौर) प्रक्षेत्रों (जिसमें चौर विकास एवं समेकित मत्स्य पालन आदि शामिल हो), केज में मत्स्य पालन, विकसित मत्स्यबीज हैचरी प्रक्षेत्र, फिश फीड मिल, बायोफ्लॉक एवं आर0ए0एस0 तकनीकी आदि विकसित मत्स्य प्रक्षेत्रों का भ्रमण दर्शन कराना है ताकि किसान अपने जिलों में भी इसका अनुकरण कर नवीनतम तकनीक से मत्स्य पालन कर सकें। इससे न केवल मत्स्य उत्पादन में अभिवृद्धि हो सकेगी बल्कि उनके वार्षिक आय में भी बढोतरी होगी तथा कृषकों के आय को दोगुना करने का लक्ष्य को पुरा करने में भी सहायक होगा।

(ख) भ्रमण दर्शन की योजना राज्य के सभी जिलो में कार्यान्वित की जायेगी।

(ग) इस कार्यक्रम के तहत राज्य के कुल 5880 मत्स्य कृषकों को 294 बैचों (20 मत्स्य कृषक प्रति बैच) में मत्स्य प्रक्षेत्रो आदि का एक दिवसीय भ्रमण दर्शन कराया जायेगा।

(घ) इस योजना के तहत जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को मत्स्य कृषकों के भ्रमण दर्शन कार्यक्रम हेतु 0.31 लाख रुपया प्रति बैच उपलब्ध कराया जायेगा। परंतु उपलब्ध कराया गया 0.31 लाख रुपया प्रति बैच अथवा वास्तविक व्यय प्रति बैच, दोनो में से जो भी राशि न्यूनतम होगी की व्यय हेतु अनुमान्यता होगी।

(ङ) इस प्रकार पूरे भ्रमण दर्शन कार्यक्रम पर अधिकतम कुल ₹ 91.14 लाख (इक्यानवे लाख चौदह हजार) रुपये मात्र व्यय होने की संभावना है, विस्तृत व्यय विवरणी एवं जिलावार लक्ष्य की विवरणी अनुलग्नक–I, अनुलग्नक–II एवं अनुलग्नक–III के रूप में संलग्न।

(च) मत्स्य कृषक राज्य के अंदर भ्रमण दर्शन कार्यक्रम हेतु निबंधन शुल्क के रुप में 100 रुपया प्रति कृषक के दर से अपने जिले के जिला मत्स्य कार्यालय में जमा करेंगें। निबंधन के रुप में प्राप्त राशि प्रक्रियानुसार/नियमानुसार जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा राज्य कोष में जमा की जाएगी। निबंधन के उपरांत लाभूकों के द्वारा भ्रमण दर्शन कार्यक्रम में भाग नहीं लेने पर निबंधन रद्द कर निबंधन शुल्क राशि जब्त कर ली जाएगी।

(छ) राज्य के अंदर क्षेत्रीय भ्रमण दर्शन कार्यक्रम हेतु भाड़े पर ली गई वाहन के किराया का भुगतान बिहार राज्य पर्यटन निगम/बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप अथवा वास्तविक किराया दोनो में से जो न्यूनतम होगा की अनुमान्यता होगी। इस हेतु प्रति बैच अधिकतम 15000 (पन्द्रह हजार) रूपया प्रति दिन (जी0एस0टी0 एवं टॉल टैक्स सहित) प्रति बैच प्रति कार्यक्रम व्यय हेतु अनुमान्य होगी।

(ज) भ्रमण दर्शन कार्यक्रम हेतु संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अपना जिला सहित अन्य जिलों में विकसित आर्द्रभूमि प्रक्षेत्रों (जिसमें चौर विकास एवं समेकित मत्स्य पालन आदि शामिल हो) बायोफ्लॉक इकाई, विकसित मत्स्य प्रक्षेत्रों, केज में मत्स्य पालन, विकसित मत्स्यबीज हैचरी प्रक्षेत्र, फिश फीड मिल, आदि का चयन करेंगे तथा रूट चार्ट इस प्रकार तैयार करेंगे ताकि कम से कम दो इकाईयों का भ्रमण हो सके। ऐसी स्थिति में चिन्हित इकाईयों के मालिक/संचालक को 100 रूपये प्रति लाभूक तथा दो से अधिक हो तो उन्हें

समानुपातिक राशि प्रति लाभूक के दर से प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जायेगा ताकि वे लाभार्थियों को अच्छी तरह से तकनीकी जानकारी की बारीकियों को बता एवं दिखा सके। जिला मत्स्य पदाधिकारी इन चिन्हित इकाईयों को स्वयं जाँचोपरांत चयनित करते हुए पंजीकृत करेंगे तथा उक्त कार्यक्रम हेतु चयन किये जाने का पत्र मालिक/संचालक को देना सुनिश्चित करेंगे। पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि चयनित इकाई के मालिक/संचालक भ्रमणार्थियों को सही ढ़ंग से भ्रमण कराते हुए, उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही मात्स्यिकी क्रिया–कलाप की बारीकियों से अवगत कराएगें। चयनित इकाईयों के मालिक/संचालक को दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि सम्बन्धित जिला के जिला मत्स्य पदाधिकारी निर्धारित दर से राशि का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से करेंगें। भ्रमणोपरान्त, भ्रमणार्थियों से लिखित फीड बैक लिया जायेगा जिसके आधार पर संबंधित चयनित इकाई की सेवा आगे जारी रखने पर निर्णय, जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा लिया जा सकेगा। फीड–बैक का समेकित 'सार' प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ मत्स्य निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। बेहतर सहयोग प्रदान करने वाले ऐसे प्रगतिशील कृषकों (इकाई के मालिक/संचालक) को चिन्हित कर प्रशस्ति पत्र/प्रतीक चिन्ह आदि दी जा सकेगी। भोजन मद हेतु कर्णांकित राशि जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा सीधे लाभूक को उपलब्ध कराया जाएगा।

(झ) संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा ही अपने जिले के लाभर्थियों तथा एक या अधिकतम दो विभागीय पदाधिकारी/कर्मचारी (संविदा सहित) प्रति बैच को चयनित भ्रमण दर्शन स्थल तक जाने एवं वापस आने का किराया पर ली जाने वाली भाड़े की बस का आरक्षण किया जायेगा। विभागीय पदाधिकारी/कर्मचारी के यात्रा की अलग से स्वीकृति आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। उनके (विभागीय पदाधिकारी/कर्मचारी) भोजन एवं यात्रा–भत्ता का भुगतान उनके वेतन शीर्ष के तहत प्रशिक्षण व्यय मद अथवा यात्रा व्यय मद में आवंटित राशि से किया जाएगा।

(ञ) योजना के कार्यान्वयन के दौरान किसी भी रूप में यदि राज्य सरकार के बिहार राज्य पर्यटन निगम/बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा निर्धारित बस भाड़ा/किराया में बढ़ोत्तरी की जाती है तथा अपरिहार्य कारणवश जैसे प्राकृतिक आपदा (बाढ़, सुखाड़, महामारी, भूकम्प, अतिवृष्टि, आदि), आपातकाल, चुनाव अथवा चयनित इकाई के मालिक/संचालक के द्वारा पूर्व निर्धारित भ्रमण दर्शन कार्यक्रम की तिथियों कों परिवर्तन/रद्द करने के फलस्वरूप यदि आरक्षित किराया के बस रद्द करना पड़े तो दोनों स्थितियों में सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अपने उप मत्स्य निदेशक (परिक्षेत्र) अथवा निदेशक मत्स्य से अनुमोदनोपरांत योजनान्तर्गत स्वीकृत/आवंटित राशि के अनुरूप भ्रमण दर्शन प्राप्त करने वाले मत्स्य कृषकों की संख्या/बैच में आवश्यकतानुसार अनुपातिक बदलाव कर सकेंगे। लेकिन व्यय की राशि स्वीकृत राशि के अन्दर ही सीमित रहेगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी विस्तृत ब्यौरा ससमय निदेशक मत्स्य को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेंगे।

5. लाभूको का चयन :–

(क). इस योजनान्तर्गत लाभूकों का चयन हेतु निम्न पात्रता होगी:–

i. इच्छुक मत्स्य पालक जो निजी/पटट्ा पर अथवा सरकारी तालाब/जलकर में मत्स्य पालन कार्य कर रहे हो।

ii. इच्छुक कृषक जो मत्स्य पालन करना चाहते हों तथा विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन समर्पित किया हो।

iii. प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सक्रिय सदस्य हों।

iv. ऐसे प्रगतिशील मत्स्य पालक जो विभागीय योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर मत्स्य पालन का कार्य कर रहें हो।

v. ऐसे कृषक जो मत्स्य पालन करना चाहते हो तथा उनके पास समुचित मत्स्य संसाधन उपलब्ध हो।

vi. लाभार्थी का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवयव विशेष हेतु लाभार्थी का पुनरावृति न हो।

(ख) इस भ्रमण दर्शन कार्यक्रम हेतु लाभुको का चयन मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना के द्वारा राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में सूचना/विज्ञापन के प्रकाशन के पश्चात विभागीय वेबसाईट: http://fisheries.bihar.gov.in/ पर ऑनलाईन (Online) के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र तथा आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज के आधार पर किया जाएगा।

(ग) समाचार पत्रों में सूचना/विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् विभागीय पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाईन पूर्ण आवेदन पत्रों को जिला मत्स्य पदाधिकारी सूचीबद्ध करते हुए संधारित करेंगे।

(घ) भ्रमणदर्शन हेतु ऑनलाईन पोर्टल हमेशा खुली रहेगी। प्रत्येक माह का आखिरी तिथि कट–ऑफ तिथि होगी। उक्त तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों को जाँचोंपरांत उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति से अनुमोदनोपरांत चयनित सूची पंजी में तिथिवार संधारित की जाएगी जिससे संभावित लाभार्थियों का एक सुरक्षित पूल तैयार हो सके।

(ड़) चयनित सूची पुल से ही वरीयता क्रम में उपर से लक्ष्य के अनुरूप भ्रमणदर्शन हेतु लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा।

(च) लाभार्थियों के चयन हेतु उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में समिति का गठन निम्न रूप से किया जाता है –

1. उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र	– अध्यक्ष
2. जिला मत्स्य पदाधिकारी सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	– सदस्य सचिव
3. मत्स्य प्रसार पदाधिकारी	– सदस्य
4. कनिय अभियंता	– सदस्य
5. मत्स्य विकास पदाधिकारी	– सदस्य

ayn

उक्त समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित होगी जिसमें भ्रमणदर्शन/प्रशिक्षण हेतु इच्छूक लाभुकों का चयन योजनान्तर्गत प्रावधान के तहत किया जाएगा।

(छ). योजनान्तर्गत यदि दो या दो से अधिक पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में मत्स्य पालन के तकनीक में प्रशिक्षित/मत्स्य पालन/मत्स्य व्यवसाय से जुड़े आवेदक को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

(ज). योजनान्तर्गत यदि दो या दो से अधिक पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में यदि दोनो या इससे अधिक आवेदक मत्स्य पालन के तकनीक में प्रशिक्षित/मत्स्य पालन/मत्स्य व्यवसाय से जुड़े हों तथा सभी आवश्यक आर्हता पूर्ण करते हो तो, ऐसी स्थिति में जिला मत्स्य कार्यालय में पहले आवेदन समर्पित करने वाले आवेदक को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

6. मत्स्य पालकों के इस पूरी भ्रमण दर्शन कार्यक्रम की योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकण संयुक्त मत्स्य निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रसार), मत्स्य प्रशिक्षण–सह–प्रसार केन्द्र, मीठापुर, पटना के द्वारा किया जायेगा तथा प्रत्येक माह उनके द्वारा प्रगति प्रतिवेदन एवं लाभूकों की सूची मत्स्य निदेशालय को उपलब्ध कराई जायेगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) अपने जिले से सम्बन्धित विहित प्रपत्र में भ्रमणोपरान्त मत्स्य पालको की सूची संयुक्त मत्स्य निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रसार) को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. इस योजना के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होती है तो विभागीय सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव के अनुमति से निदेशक, मत्स्य के द्वारा आवश्यक संशोधन/ दिशा–निर्देश निर्गत किया जायेगा।

8. इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 में होने वाले व्यय का विकलन माँग संख्या–02, मुख्य बजट शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–109 –विस्तार तथा प्रशिक्षण, उप शीर्ष–0102 –मत्स्य प्रसार योजना, विपत्र कोड 02-2405001090102 के अधीन विषय शीर्ष–0102.20.03 –प्रशिक्षण व्यय मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा। इस कार्यक्रम हेतु समुचित बजट उपबंध उपलब्ध है।

9. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) होंगे। निदेशक, मत्स्य इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी भी होंगे।

10. उक्त योजना के तहत यदि पूर्व की वैध्य राशि बकाया हो, तो ऐसी बकाया राशि का भी भुगतान इस योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि से किया जा सकेगा। परंतु ऐसे मामलों में सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अपने परिक्षेत्र के उप मत्स्य निदेशक से विधिवत अनुमति प्राप्त कर भुगतान किया जा सकेगा।

11. योजनान्तर्गत स्वीकृति राशि के अनुरूप निदेशक मत्स्य के द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

12. यह स्कीम एक चालू राज्य स्कीम है। योजना का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के

आलोक में इस योजना के स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका–6 एस० एस०(6)34/2019 के पृष्ठ–64/टि० एवं दिनांक–02.05.2025.

13. विभागीय संकल्प–1464, दिनांक–29.05.2019 का अनुपालन निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

14. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)34/2019 के पृष्ठ संख्या–63/टि० डायरी क्रमांक–206, दिनांक–30.04.2025.

15. इस स्कीम के तहत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

(स्मिता सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)34/2019– 2051 /पटना–15, दिनांक–08/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)34/2019– 2051 /पटना–15, दिनांक–08/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)34/2019– 2051 /पटना–15, दिनांक–08/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/सभी संयुक्त मत्स्य निदेशक/सभी उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)34/2019– 2051 /पटना–15, दिनांक–08/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)34/2019– 2051 /पटना–15, दिनांक–.....08./.05..../2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)34/2019– 2051 /पटना–15, दिनांक–.....08./.05..../2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक –I

चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना अन्तर्गत मत्स्य कृषकों के भ्रमण दर्शन की योजना पर विपत्र कोड 02-2405001090102 के अन्तर्गत होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी :–

(राशि लाख में)

क्र०	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0102.20.03 –प्रशिक्षण व्यय	₹ 91.14	निदेशक मत्स्य / सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	सभी कोषागार, बिहार।
योग :–		₹ 91.14		

कुल (इक्यानवे लाख चौदह हजार) मात्र।

2051
08/05/25

7/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

<u>अनुलग्नक–II</u>

राज्य के अंदर मत्स्य कृषको का भ्रमण–दर्शन कार्यक्रम की व्यय विवरणीः–

क्र०	अवयव	इकाई	संख्या	प्रति बैच कुल राशि
1	कुल मत्स्य कृषकों के बैच की संख्या	संख्या	294	
2	प्रति बैच मत्स्य पालको की संख्या	संख्या	20	
3	कुल मत्स्य पालको की संख्या (294 Batch*20=12000)	संख्या	5880	
4	प्रति कृषक भोजनादि पर व्यय (₹500.00/कृषक 20 कृषकों के लिए)	500 रूपया प्रति दिन	1 दिन	₹10000
5	चयनित इकाइयों के संचालक/मालिक को अधिकतम प्रोत्साहन राशि प्रति बैच (20*₹200 प्रति कृषक=₹4000 प्रति बैच)	रूपया	₹200 प्रति कृषक प्रति बैच	₹4000
6	विविध अन्यान व्यय (स्वास्थ्य आपातकालिन आदि) प्रति बैच	एक मुश्त		₹2000
7	भाड़े पर लिये जाने वाले वाहन का अधिकतम किराया (₹15000*1=₹15000) प्रति बैच	₹15000 प्रति दिन	1 दिन	₹15000
8	कुल व्यय प्रति बैच (₹10000+₹4000+₹2000+₹15000=₹31000)	रूपया	1 दिन	₹31000
				(इकतीस हजार प्रति बैच)
				(कुल 294 बैच हेतु संभावित व्यय ₹91.14 लाख मात्र)

2051
08/05/25

7/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–III

वित्तीय वर्ष 2025–26 में मत्स्य प्रसार योजनान्तर्गत भ्रमण दर्शन कार्यक्रम से संबंधित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी।

क्र0	जिला	भ्रमण दर्शन कार्यक्रम योजनान्तर्गत मत्स्य कृषकों (राज्य के अंदर)		
		भौतिक		वित्तीय
		बैच की संख्या	संख्या (प्रति बैच 20 मत्स्य कृषकों)	राशि (लाख)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	पटना	9	180	2.79000
2	भोजपुर	6	120	1.86000
3	बक्सर	6	120	1.86000
4	रोहतास	9	180	2.79000
5	कैमूर	8	160	2.48000
6	नालंदा	8	160	2.48000
7	गया	6	120	1.86000
8	जहानाबाद	6	120	1.86000
9	अरवल	6	120	1.86000
10	औरंगाबाद	8	160	2.48000
11	नवादा	6	120	1.86000
12	मुजफ्फरपुर	9	180	2.79000
13	वैशाली	9	180	2.79000
14	सीतामढ़ी	9	180	2.79000
15	शिवहर	6	120	1.86000
16	पूर्वी चम्पारण	9	180	2.79000
17	प0 चम्पारण	9	180	2.79000
18	सारण	7	140	2.17000
19	सीवान	8	160	2.48000
20	गोपालगंज	8	160	2.48000
21	सहरसा	7	140	2.17000
22	सुपौल	7	140	2.17000
23	मधेपुरा	6	120	1.86000
24	पूर्णियाँ	9	180	2.79000
25	अररिया	7	140	2.17000
26	किशनगंज	7	140	2.17000
27	कटिहार	9	180	2.79000
28	भागलपुर	8	160	2.48000
29	बाँका	8	160	2.48000
30	मुंगेर	7	140	2.17000
31	लखीसराय	6	120	1.86000
32	शेखपुरा	9	180	2.79000
33	जमुई	8	160	2.48000
34	खगड़िया	8	160	2.48000
35	बेगुसराय	9	180	2.79000
36	दरभंगा	9	180	2.79000
37	मधुबनी	9	180	2.79000
38	समस्तीपुर	9	180	2.79000
	कुल :–	**294**	**5880**	**91.14000**

2051
08/05/25

7/5/25
सरकार के संयुक्त सचिव